



Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

फाइल क्रमांक False Certificate/1/UP/2017/RU-I

दिनांक 05/02/2018

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश,

2. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश सरकार,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ
उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध में श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि प्रकरण पर दिनांक 23.02.2018 को 3:00 बजे निश्चित की गई सीटिंग को दिनांक 23.02.2018 को मध्याह्न 12:00 बजे रखा गया है।

अनुरोध है कि प्रकरण में संबंधित सभी दस्तावेज सहित उपरोक्त तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

संलग्न: प्रति

10/11-16
5/2/18

10/11-16
5/2/18

भवदीय

(पी. टी. जैम्सकुट्टी)
उप सचिव

प्रतिलिपि:

श्री अरविंद कुमार गोंड,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा,
पता: बी - 13/9, सैक्टर - 71,
नोएडा, उत्तर प्रदेश।

